



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2017/पौष 23, 1938

No. 120]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2017/PAUSA 23, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2017

सं. 34 / 2015-2020

विषय:— पशु अव-उत्पादों की निर्यात नीति।

का.आ. 131(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं० 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पशु अव-उत्पादों के निर्यात से संबंधित निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अध्याय 5 में क्र. सं. 38क और 41क पर नई प्रविष्टियों को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा और क्र. सं. 40 और 41 के सामने मौजूदा प्रविष्टियां निम्नानुसार बदली जाएंगी :

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
38क	05021010	कि. ग्रा.	सुअर का बाल और केश	मुक्त	निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है: (i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा। (ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता

					को खेप वार सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन दुग्ध एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए "उत्पादन प्रक्रिया" प्रमाणपत्र और/अथवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा।
40	<u>05061019</u> <u>05061029</u> <u>05061039</u> <u>05061049</u> 05069019 05069099 05119999 05079030 05079050 05079090 051000 05100099	कि.ग्रा	हड्डियों और हड्डियों का उत्पाद, सींग और सींग के उत्पाद, हूब्स और हूफ उत्पाद वाइल शुष्कित अथवा नहीं: ग्लैंड्स और फार्मास्युटिकल उत्पादों की तैयारी में उपयोग होने वाले केवल भैसों से प्राप्त अन्य उत्पाद ताजे, दूतशीतित, हिमशीतित अथवा अनन्तित तौर पर परिरक्षित किए गए, प्लेसेंटा, सोडियम टाउरोग्लाय कोचोलेट बेजोअर, गुलोचान गालस्टोन आदि सहित अन्य	मुक्त	निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है (अस्थिचूर्ण, सींग चूर्ण, हूफ के चूर्ण को छोड़कर): (i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा। (ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार उत्पादन प्रक्रिया प्रमाणपत्र (घोषणा) और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।
41	<u>05061019</u> <u>05061029</u> <u>05061039</u> <u>05061049</u> 05069019 05069099 05119999	कि.ग्रा	हड्डियों और हड्डियों के उत्पाद, मानव उपभोग के लिए उपयोग हेतु ओसेइन सहित	मुक्त	निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है: (i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा। (ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार उत्पादन प्रक्रिया प्रमाणपत्र (घोषणा) और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।
41 क	051199	कि.ग्रा	शुष्कित सिल्कवार्म प्यूपे	मुक्त	निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है: (i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का

				<p>पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा।</p> <p>(ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।</p>
--	--	--	--	---

3. अध्याय 16 में क्र.सं. 92 क पर नई प्रविष्टि को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
92क	16030010	कि.ग्रा	भैंस, बकरी और भेड़ के मांस का सत्व एवं अर्क	मुक्त	<p>निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है:</p> <p>(i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा।</p> <p>(ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।</p>

4. अध्याय 23 में क्र.सं. 93 ख पर नई प्रविष्टि को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
93ख	23011010	कि.ग्रा	मांस मील्स एवं पेलिट्स (टेन्केज सहित) : भैंस का मांस एवं अस्थिचूर्ण	मुक्त	<p>निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है:</p> <p>(i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा।</p>

					(ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।
--	--	--	--	--	--

5. अध्याय 23 में क्र.सं. 97 के सामने मौजूद प्रविष्टि को निम्नानुसार बदला जाएगा।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
97	2309 23091000 23099020	कि.ग्रा	प्राणी-खाद्य में उपयोग किए जाने वाले प्रकार की निर्मितियां। प्राणी-खाद्य में उपयोग किए जाने वाले प्रकार की निर्मितियां - कुत्ते या बिल्ली का खाद्य जो फुटकर ब्रिकय के लिए रखा गया है। कंपाउंड पशु आहार के लिए कंसंट्रेटस	मुक्त	पशु अव-उत्पाद से निर्मित मदों का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है: (i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा। (ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्स आईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।

6. अध्याय 30 में क्र.सं. 156 के सामने मौजूदा प्रविष्टि को निम्नानुसार बदला जाएगा और अध्याय 31 में क्र.सं. 156क पर नई प्रविष्टि को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
156क	3002 10 30021020 30019091 3101 00	कि.ग्रा	एन्टीसेरा और अन्य ब्लड फ्रैक्शन और मोडिफाइड इम्यूनोलोजिकल उत्पाद, चाहे वे बायोटेक्नोलोजिकल प्रोसेसिंग के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं या नहीं हिमोग्लोबिन ब्लड ग्लोबुलिनस और सेरम ग्लोबुलिनस हेपारिन और इसके लवण प्राणी या वनस्पति उर्वरक चाहे आपस में मिश्रित या रासायनिक रूप से उपचारित है	मुक्त	पशु अव-उत्पादों से तैयार मदों का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है: (i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा। (ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता

			या नहीं; प्राणी या वनस्पति उत्पादों के मिश्रण या रासायनिक उपचार द्वारा उत्पादित उर्वरक		को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।
--	--	--	--	--	---

7. अध्याय 35 में क्र.सं. 171, 172, 173 के सामने मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नानुसार बदला जाएगा और अध्याय 35 में क्र.सं. 172क, 173क, 173ख, 173ग पर नई प्रविष्टियों को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
171	35030020	कि. ग्रा	जिलेटिन, खाद्य ग्रेड और/अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।	मुक्त	<p>पशु अव-उत्पादों से तैयार मदों का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है:</p> <p>(i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्स आईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा।</p> <p>(ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।</p>
172 172क 173 173क 173ख 173ग	35030030 35030090 35040010 35079020 35079030 35079079	कि. ग्रा	हड्डियों, हाइड्रस और समान मदों से प्राप्त ग्लूज और फिश फ्लूज अन्य पेपटोन्स; अन्य: पेनक्रेटिन पेप्सिन ट्रायप्सिन, चायमोट्रायप्सिन ट्रायाप्सिन चायमोट्रायाप्सिन मिक्स	मुक्त	<p>पशु अव-उत्पादों से तैयार मदों का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है:</p> <p>(i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्स आईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा।</p> <p>(ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा</p>

					संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।
--	--	--	--	--	---------------------------------

8. अध्याय 41 में क्रम सं. 175 क पर नई प्रविष्टि को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
175क	41015020	कि.ग्रा	बैंस की सम्पूर्ण खालें और चर्म जिसका भार 16 कि.ग्रा. से अधिक हो	मुक्त	<p>पशु अव-उत्पादों से तैयार मदों का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है:</p> <p>(i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा।</p> <p>(ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्स आईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।</p>

9. अध्याय 42 में क्र.सं. 176क पर नई प्रविष्टि को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
176क	42050090	कि. ग्रा	डॉंग और चिऊज	मुक्त	<p>पशु अव-उत्पादों से तैयार मदों का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है:</p> <p>(i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा।</p> <p>(ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्स आईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।</p>

10. अध्याय 96 में क्र.सं. 206क पर नई प्रविष्टि को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

क्र.सं.	प्रभुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
206क	96019030 96019040 96019090 96063010	कि.ग्रा	अन्य : हड्डी की कसीदाकारी (व्हेल हड्डी को छोड़कर) और उनकी वस्तुएं अन्य कर्मित हार्न, कोरल और अन्य जानवर कारबिंग सामग्री और उनकी वस्तुएं बटन्स और बटन्स बलैक	मुक्त	पशु अव-उत्पादों से तैयार मदों का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है: (i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा। (ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्स आईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।

11 अध्याय 96 में क्र० सं० 207 के सामने मौजूदा प्रविष्टियां निम्नानुसार बदली जाएंगी :

क्र.सं.	प्रभुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
207	96020030	कि.ग्रा	जिलेटिन कैप्सुल्स खाली मानव उपभोग के लिए नहीं	मुक्त	पशु अव-उत्पादों से तैयार मदों का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परन्तु यूरोपीय संघ को निर्यात शर्तों के अधीन अनुमत है: (i) निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक की आईईसी संख्या, संयंत्र मंजूरी संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरूप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, माल लदान के पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य स्थान का विवरण दर्शाते हुए सीएपीईएक्सआईएल द्वारा खेप वार "पोत लदान निकासी प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा। (ii) पोत लदान किए जाने के बाद, निर्यातक क्रेता को उत्पाद का एचएस कोड, पैकेजिंग, इसके उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तारीख, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि के साथ ब्यौरा देते हुए खेप-वार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा। यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्स आईएल और क्षेत्रीय पशु संगरोध अधिकारी, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा।

12. **इस अधिसूचना का प्रभाव:-**

पशु अव-उत्पाद से निर्मित कुछ उत्पादों की निर्यात नीति में संशोधन/सुधार किए गए हैं।

[फा.सं.01/91/171/47/एएम05/पीसी-III/ईसी वोल्यूम.1]

ए. के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

Notification

New Delhi, the 13th January, 2017

No. 34 /2015-2020

Subject : Export Policy of Animal By-Products.

S.O. 131(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items relating to export of Animal By-Products.

2. The existing entries against Sl. No. 38A, 40, 41 and 41A of Chapter 5 shall be substituted as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
38 A	05021010	Kg.	Pig Bristles & Hair	Free	Export allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions: (i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (Name of the port) and destination. (ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Production Process Certificate' and/or 'Health Certificate' to the buyer consignment-wise, to be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

40	<u>05061019</u> <u>05061029</u> <u>05061039</u> <u>05061049</u> 05069019 05069099 05119999 05079030 05079050 05079090 051000	Kg.	Bone and Bone Products, horn and horn products hooves and hoof products Bile, whether or not dried : Glands and Other products sourced only from Buffalo used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved including, Placenta, Sodium tauroglycocholate, Bezoar, Goolochan, Gallstone, etc.	Free	Export allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions (excluding bone meal, horn meal and hoof meal) : (i) A 'Shipment Clearance Certificate is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination (ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a "Production Process Certificate" and/or "Health Certificate" consignment-wise, to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
	05100099		Other		
41	<u>05061019</u> <u>05061029</u> <u>05061039</u> <u>05061049</u> 05069019 05069099 05119999	Kg.	Bone and bone products, including Ossein intended to be used for Human Consumption	Free	Export allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions : (i) A 'Shipment Clearance Certificate is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination (ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a "Production Process Certificate" and/or "Health Certificate" consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
41 A	051199	Kg.	Dried Silk Worm Pupae	Free	Export allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions :

					<p>(i) A 'Shipment Clearance Certificate is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination</p> <p>(ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.</p>
--	--	--	--	--	--

3. The new entry at Sl. No. 92A in Chapter 16 shall be added as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
92A	16030010	Kg.	Extracts and Juices of Meat of Buffalo, Goat and Sheep	Free	<p>Export allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions :</p> <p>(i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination</p> <p>(ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.</p>

4. The new entry at Sl. No. 93B in Chapter 23 shall be added as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
93B	<u>23011010</u>	Kg.	Meat meals and pellets (including tankage) : Meat and Bone Meal of Buffalo	Free	<p>Export allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions :</p> <p>(i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination</p> <p>(ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.</p>

5. The existing entry against Sl. No. 97 in Chapter 23 shall be substituted as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
97	<u>2309</u>	Kg.	<u>Preparations of a kind used in animal feeding</u>	Free	<p>Export of the item produced from animal by-products allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions :</p> <p>(i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination</p> <p>(ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and</p>
	<u>23091000</u>	Kg.	Preparation of a kind used in animal feeding - Dog or Cat food, put up for retail sale		
	23099020	Kg.	Concentrates for compound animal feed		

					Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
--	--	--	--	--	---

6. The existing entry against Sl. No. 156 in Chapter 30 shall be substituted and new entry at Sl. No. 156A in Chapter 31 shall be added as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
156	3002 10 30021020 30019091	Kg.	Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes Hemoglobin blood globulins and serum globulins Heparin and its salts	Free	Export of the item produced from animal by-products allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions : (i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination (ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
156A	3101 00	Kg.	Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products		

7. The existing entries against Sl. No. 171, 172, 173 in Chapter 35 shall be substituted and new entries at Sl. No. 172A, 173A, 173B, 173C in Chapter 35 shall be added as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
171	35030020	Kg.	Gelatine, edible grade and not elsewhere specified or included	Free	Export of the item produced from animal by-products allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions : (i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination (ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
172	35030030	Kg.	Glues derived from bones, hides and similar items and fish glues		
172A	35030090	Kg.	Other		
173	35040010	Kg.	Peptones; Others		
173A	35079020	Kg.	Pancreatin		
173B	35079030	Kg.	Pepsin		
173C	35079079	Kg.	Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin-Chymotrypsin Mix		

8. The new entry at Sl. No. 175A in Chapter 41 shall be added as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
175A	41015020	Kg.	Whole hides and skins of weight exceeding 16 kg. : Of Buffalo	Free	Export of the item produced from animal by-products allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions : (i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination

					(ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
--	--	--	--	--	---

9. The new entry at Sl. No. 176A in Chapter 42 shall be added as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
176A	42050090	Kg.	Dog Chews	Free	Export of the item produced from animal by-products allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions : (i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination (ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

10. The new entry at Sl. No. 206A in Chapter 96 shall be added as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
206A	<u>96019030</u>	Kg.	Other: Worked bone (excluding whale bone) and articles thereof	Free	Export of the item produced from animal by-products allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions : (i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and
	<u>96019040</u>	Kg.	Other:		
	<u>96019090</u>	Kg.	Worked horn,		

			coral and other animal carving material and articles thereof		date, port of loading (name of the port) and destination (ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
	96063010	Kg.	Buttons and Button Blanks		

11. The existing entry against Sl. No. 207 in Chapter 96 shall be substituted as follows:

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of- Restriction
207	96020030	Kg.	Empty Gelatin capsules not intended for human consumption	Free	Export of the item produced from animal by-products allowed freely but export to European Union allowed subject to the following conditions : (i) A 'Shipment Clearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination (ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. This Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

12. **Effect of this notification:**

Export policy of some of the products of animal origin have been modified/amended.

[F. No. 01/91/171/47/AM05/PC-III/EC Vol. 1]

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade